अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 1045/15-05-2024-1601(696)/2019

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक,
उ0प्र0, प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2024

विषयः– अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय–शिक्षक रखे जाने की प्रकिया एवं कार्य निष्पादन शर्तें, 2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सामान्य(1)तृतीय/6423/2022–23, दिनांक 16.08.2022, पत्रांक सामान्य(1)तृतीय/6755/2022–23, दिनांक 24.08.2022 एवं पत्रांक सामान्य(1)तृतीय/7048/2022–23, दिनांक 02.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से विषयांकित विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रकिया एवं कार्य निष्पादन की शर्तें निर्धारित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– प्रकरण पर सम्यक् एवं व्यापक विचार–विमर्श किये जाने के उपरान्त यह विदित हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं इससे सम्बन्धित मिस0 अप्लीकेशन संख्या–818/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.8.2020 एवं दिनांक 07.12.2021 के अनुपालन में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित तदर्थ शिक्षकों को नियमित/स्थायी शिक्षक के रूप में आवंटित संस्थाओं में नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। शेष कार्यरत तदर्थ अध्यापक राजकोष से न तो वेतन पाने के अधिकारी हैं और न ही ये अध्यापक रह गये हैं। ऐसी स्थिति में इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। प्रश्नगत सिविल अपील में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में तदर्थ अध्यापकों को सेवा से हटाये जाने के फलस्वरूप रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों के चयन हेतु अधियाचन तत्समय उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज को प्रेषित किया गया। कतिपय कारणवश चयन बोर्ड तत्समय अधियाचित पदों के सापेक्ष चयन प्रकिया पूर्ण नहीं कर पाया। इसके उपरान्त प्रतिवर्ष जो रिक्तियॉ सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों से होती चली गयीं, उन पदों पर भर्ती की प्रकिया समयान्तर्गत नहीं हो पा रही है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग आदि विभागों में शिक्षकों के चयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक समेकित आयोग "उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग" का गठन किया गया है, जो अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित भी हो चुका है। नवीन आयोग के विधेयक, 2023 के दिनांक 21 अगस्त, 2023 अधिसूचित एवं प्रकाशित होने के साथ ही उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज का अस्तित्व समाप्त हो गया है। नवीन आयोग में सदस्यों के चयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष का चयन किया जाना अभी शेष है। नवीन आयोग के पूर्ण एवं प्रभावी रूप से कियाशील होने में कतिपय समय लगना सम्भावित है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत मानदेय शिक्षक रखे जाने की आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

3— अतः उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय—शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन शर्तें, 2024, जो निम्नवत् निर्धारित है, पर श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. **परिभाषा** :— अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों मे पूर्व में कार्यरत रहे तदर्थ अध्यापक, जिनकी सेवायें शासनादेश संख्या—2373/15—05—2023—1601(696)/2019, दिनांक 09.11.2023 द्वारा समाप्त कर दी गयी है, को यदि शिक्षण—कार्य हेतु प्रश्नगत विद्यालयों में न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत एक निश्चित मानदेय पर रखा जाता है तो उन्हें मानदेय—शिक्षक कहा जायेगा।

2. **मानदेय—शिक्षकों को रखे जाने की प्रक्रिया—**

(1) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन की न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक पूर्व के तदर्थ अध्यापकों की पूर्व सेवाओं के आधार पर विद्यालय निर्धारण इत्यादि का परीक्षण करने के लिये मण्डल स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है—

1. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक—	अध्यक्ष
2. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)—	सदस्य
3. मण्डलीय वित्त एवं लेखाधिकारी—	सदस्य
4. सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक—	सदस्य/सचिव

(2) **मानदेय—शिक्षकों की पात्रता—**

शासनादेश संख्या— 2373/15—05—2023—1601(696)/ 2019, दिनांक 09.11.2023 द्वारा जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, मानदेय शिक्षक हेतु पात्र होंगे।

(3) **मानदेय—शिक्षक की शैक्षिक अर्हता—**

जैसा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम—1921 के अध्याय—2 के परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित है।

(4) **मानदेय शिक्षक के विद्यालय का निर्धारण—**

(क) यथासम्भव सम्बन्धित मानदेय—शिक्षक को अध्यापन की न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उसी विद्यालय में रखा जायेगा।

(ख) सम्बन्धित संस्था में अध्यापन की न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता न होने की दशा में वरीयता क्रम में आवश्यकतानुसार जनपद, मण्डल के अन्य विद्यालय में उक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर रखा जा सकेगा। मण्डल से बाहर न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत मण्डलीय समिति की संस्तुति पर अन्य मण्डल के किसी विद्यालय में रखे जाने हेतु निदेशालय स्तर पर निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :—

1. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक —	अध्यक्ष
2. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अर्थ —	सदस्य

Scanned with CamScanner

3. उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक (2, 3) – सदस्य

उक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर मण्डल के बाहर मानदेय शिक्षक को रखा जा सकेगा। मण्डल के बाहर मानदेय शिक्षक की नियुक्ति यथासम्भव उन संस्थाओं में ही की जायेगी, जिन संस्थाओं में नियमित पद रिक्त हों।

(5) आयु सीमा–

सम्बन्धित मानदेय–शिक्षक अधिकतम 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक कार्य कर सकेगा।

(6) शासनादेश दिनांक 09.11.2023 के निर्णय से आच्छादित तदर्थ शिक्षक द्वारा निश्चित मानदेय पर कार्य करने के लिये निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दिये जाने के पश्चात ही उसे मानदेय–शिक्षक के रूप में रखा जायेगा।

3. कार्य निष्पादन की अवधि एवं नवीनीकरण–

(1) मानदेय का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अधिकतम ग्यारह माह के लिये किया जायेगा।

(2) मानदेय–शिक्षक द्वारा संस्था प्रबन्धक को आगामी सत्र हेतु कार्य करने की सहमति/प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर तदनुसार कार्य लिया जायेगा।

(3) मानदेय–शिक्षक द्वारा कार्य करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित सहमति–पत्र पर दी गयी सहमति के पश्चात् ही कार्य लिया जायेगा।

(4) मानदेय–शिक्षक द्वारा कार्य से विरत होने की सूचना प्रबन्धक को एक माह पूर्व दिया जाना अनिवार्य होगा।

(5) मानदेय–शिक्षक द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र में कार्य करने के लिये शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिन पूर्व नवीनीकरण हेतु सहमति/प्रार्थना–पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

(6) मानदेय–शिक्षक किसी सृजित/नियमित पद के सापेक्ष नियुक्त नहीं किये जायेंगे, बल्कि ये सृजित/नियमित पद के अतिरिक्त होंगे और अपने संतोषजनक सेवा के आधार पर अधिकतम 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक मानदेय–शिक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

4. मानदेय का भुगतान–

मानदेय शिक्षकों के द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में उनके मानदेय का भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।

5. मानदेय की धनराशि–

मानदेय की धनराशि मानदेय–शिक्षक (हाईस्कूल स्तर) हेतु प्रतिमाह रू0–25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) एवं मानदेय–शिक्षक (इण्टरमीडिएट स्तर) हेतु प्रतिमाह रू0–30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) होगी। शासन द्वारा समय–समय पर मानदेय की धनराशि में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

6. **मानदेय–शिक्षक को देय अवकाश–**

(1) मानदेय पर कार्य करने वाले मानदेय–शिक्षक को एक सत्र (अधिकतम 11 माह) में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

(2) मानदेय–शिक्षक को अधिकतम 11 माह हेतु कुल 17 दिन का चिकित्सकीय अवकाश देय होगा।

(3) चिकित्सकीय अवकाश तभी देय होगा, जब सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण निर्गत किया गया हो।

(4) निर्धारित अवकाश से इतर अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।

(5) निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवधि में कार्य न करने पर नो वर्क नो पे के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा अर्थात निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवधि में कार्य न करने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. **पर्यवेक्षण–**

(1) संस्था प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा मानदेय–शिक्षकों का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(2) संस्था प्रबन्धक/प्रधानाचार्य अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होगा।

(3) मानदेय–शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संस्था प्रधानाचार्य का होगा।

(4) मानदेय–शिक्षक के शिक्षण व विद्यार्थियों के परीक्षाफल का रिकार्ड तैयार कराने एवं रख–रखाव का दायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

(5) संस्था प्रधान एवं मानदेय–शिक्षक के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

(6) जिला विद्यालय निरीक्षक के निस्तारण के विरूद्ध सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के समक्ष प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के निस्तारण से क्षुब्ध पक्ष शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) संस्था प्रधान द्वारा प्रतिवर्ष मानदेय–शिक्षक के कार्य कलापों, कार्य व्यवहार, आचरण, अनुशासन एवं उपलब्धियों का लेखा–जोखा तैयार कर संरक्षित किया जायेगा तथा समय–समय पर मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) संस्था प्रधान, मानदेय–शिक्षक के कार्यों के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) मानदेय–शिक्षक अपने शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के नियंत्रण एवं मार्ग–निर्देशन में करेंगे।

8. **मानदेय–शिक्षक के कार्य–निष्पादन के समाप्ति की परिस्थिति–**

(1) मानदेय–शिक्षक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय का परीक्षाफल माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 के लगातार तीन वर्षों के परीक्षाफल के औसत का 50 प्रतिशत से कम होने की दशा में। या,

Scanned with CamScanner

(2) तीन वर्षों में समीक्षा के दौरान उनका अनुशासन विद्यालय में संतोषजनक न होने की दशा में। या,

(3) मानदेय–शिक्षक के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की दशा में। या,

(4) मानदेय–शिक्षक द्वारा कार्य करने की सहमति वापस ले लिये जाने की दशा में। या,

(5) मानदेय–शिक्षक द्वारा किये गये किसी प्रकार के तथ्यगोपन के प्रकाश में आने की दशा में। या,

(6) विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में। या,

(7) संस्था में मानदेय–शिक्षक की उपस्थिति संतोषजनक नहीं होने की दशा में। या,

(8) बिना सूचना के एक माह तक निरन्तर अनुपस्थित होने पर। या,

(9) राज्य सरकार चाहे तो मानदेय–शिक्षक की व्यवस्था को कभी भी समाप्त कर सकती है।

9. अन्य–

(1) मानदेय–शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रित को कोई भी सेवा सम्बन्धी लाभ देय नहीं होगा।

(2) मानदेय के भुगतान के आधार पर स्थायी नियुक्ति अथवा विनियमितीकरण का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) भविष्य में मानदेय–शिक्षकों हेतु निर्धारित उक्त प्रकिया एवं कार्य–निष्पादन की शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्धन, अपमार्जन अथवा परिवर्तन शासन द्वारा किया जा सकेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
08.7.2024
(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

संख्या– 1045(1)/15–05–2024–1601(696)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक, माध्यमिक, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक।
(4) समस्त उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक।
(5) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक।
(6) समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, माध्यमिक, उ0प्र0।
(7) समस्त सम्बन्धित संस्था प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक।
(8) समस्त सम्बन्धित तदर्थ शिक्षक द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(निरंजन प्रसाद)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner